पत्रांक–जी / नि0सु0अ0–14–66 / 2015............................ /

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / सभी पुलिस अधीक्षक
बिहार

पटना, दिनांक............जून, 2016

विषयः– निजी सुरक्षा एजेंसी के कार्यकलाप एवं गुणवत्ता की जाँच एवं निरीक्षण के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–8811, दिनांक–11.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2011 के नियम 7(4) के अनुपालन के क्रम में निजी सुरक्षा प्रदान करने वाले अभिकरणों के कार्यकलाप एवं गुणवत्ता की जाँच वर्ष में कम से कम दो बार की जानी चाहिए। यह कार्य प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई माह में सम्पन्न हो जाना चाहिए।

बिहार राज्य में कार्यरत वैध अनुज्ञप्तिधारी अभिकरणों की सूची गृह विभाग की वेबसाईट **www.home.bih.nic.in** के **"Security Agencies Info"** पृष्ठ पर उपलब्ध है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। आपके जिले में अवस्थित अभिकरणों के कार्यालयों एवं प्रशिक्षण स्थलों की जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। यह जाँच पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून पदाधिकारी के द्वारा ही कराई जाए। प्रत्येक वर्ष इसे नियमित रूप से 31 जनवरी एवं 31 जुलाई तक नियमित रूप से भेजा जाए।

विश्वासभाजन
ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव
–सह–
नियंत्री प्राधिकारी

ज्ञापांक :–.. पटना, दिनांक...............जून, 2016

प्रतिलिपि :– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ। अनुरोध है कि स्वयं के स्तर से सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक को विषय–वस्तु पर निगरानी का निदेश देना चाहेंगे।

ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव
–सह–
नियंत्री प्राधिकारी

ज्ञापांक :–5834 पटना, दिनांक 15 जून, 2016

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग (विशेष शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra
15.06.16
सरकार के विशेष सचिव
–सह–
नियंत्री प्राधिकारी

D/S/Security Agency/Draft